

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना


पटना दिनांक-20/3/19

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 2190 /जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अरुण कुमार सिंह, अपर समाहर्ता-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री सिंह को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. प्रस्ताव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(श्री. नाथ)

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ई0-मेल ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 2190

पटना दिनांक-20/3/19


प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/ जिला पदाधिकारी, भागलपुर/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर/मोटरयान निरीक्षक, भागलपुर/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, भागलपुर/श्री अरुण कुमार सिंह, अपर समाहर्ता-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 2190

पटना दिनांक-20/3/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव